



# देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक-प्रशा./वि.स.सत्र/2025/167

दिनांक 24.02.2025

## “आदेश”

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 291/2626996/2025/38-2 भोपाल दिनांक 18.02.2025 के अनुसार विधान सभा सत्र दिनांक 10 मार्च, 2025 से 24 मार्च, 2025 तक आहूत किया गया है।

विधानसभा के प्राप्त प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के समस्त विभागाध्यक्षों, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण विधान सभा सत्र दिनांक 10 मार्च, 2025 से 24 मार्च, 2025 तक की अवधि में कार्य स्थल एवं मुख्यालय में निरंतर उपस्थित रहें जिससे कि विधान सभा की जानकारी नियत समय पर प्रेषित की जा सके।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों, अधिकारीगणों, शिक्षकगणों एवं कर्मचारीगणों को सूचित किया जाता है, कि उक्त अवधि में सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।


  
कुलसचिव

पृ.क्रमांक-प्रशा./वि.स.सत्र/2025/167

दिनांक 24.02.2025

प्रतिलिपि :-

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशाला/संस्थान/तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत।
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, नालन्दा परिसर इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत।
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
4. विभागाध्यक्ष, आय.टी.सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

  
उप कुलसचिव(प्रशासन)